न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2023

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री मनोहरसिंह राव पुत्र श्री नाथुसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरोही हाल प्रो. होटल पदमावती आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 02.08.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.2022 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा होटल पदमावती तलेटी आबूरोड जिला सिरोही की जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 23.12.2022 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा होटल पदमावती तलेटी आबूरोड जिला सिरोही की जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया एवं भट्टी पर खाना बनाने का कार्य किया जा रह था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से उक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है । अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में उनको कई अवसर दिए जा चुके है। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर अप्रार्थी की दुकान की जांच करने पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग रेस्टोरेन्ट में किया जा रहा था, जो वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते है परन्तु होटल पदमावती सलेटी आबूरोड जिला सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं वक्त निरीक्षण खान बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है ।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये उक्त गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं उक्त गैस सिलेण्डर को सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)